भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग **-II,** धारा-**3,** उप-धारा **(i)** में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली**, 16** मार्च**, 2010**

अधिसूचना

सा.का.नि.194(अ)- केन्द्रीय रेशम बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा-13 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय **- 1**

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- **(1)** इन विनियमों को केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशमकीट बीज विनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएँ **-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **"**अधिनियम" से, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) अभिप्रेत है ;

(ख) **"**पैतृक बीज" **से**, **वह रेशमकीट बीज अभिप्रेत है**, **जो वाणिज्यिक बीज उत्पादन हेतु बीज कोसे के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है** ;

(ग) **"**चॉकी रेशमकीट" से, द्वितीय निर्मोचन तक का शिशु रेशमकीट अभिप्रेत है ;

(घ) **"**चॉकी कीटपालन" से, प्रारंभिक चरण में रेशमकीट की समरूप वृद्धि के लिए पोषक आहार देते हुए अनुकूलतम दशा प्रदान कर शिशु रेशमकीट का पालन अभिप्रेत है ताकि रोगमुक्त, हृष्ट-पुष्ट, समरूप एवं अधिक गुणवत्ता वाले कोसों का उत्पादन किया जा सके;

(ङ) **"**प्ररूप**" से**, **इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है** ;

(च) **"**बीज उत्पादक**"** से, वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो रेशमकीट बीज कोसों के उत्पादन में लगा हो तथा अधिनियम की धारा 8 ङ के अंतर्गत पंजीकृत हो ;

(छ) "विनिर्दिष्ट**" से**, **इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ।**

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और पारिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में पारिभाषित हैं उनके वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में है ।

अध्याय **- 2**

केन्द्रीय रेशमकीट बीज समिति के कारबार के संव्यवहार

3. समिति की बैठक **.** (i) समिति की बैठक छ: महीने में कम-से-कम एक बार होगी ।

(2) समिति के कम-से-कम तीन सदस्यों के अनुरोध पर अध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक बुलायी जा सकेगी ।

(3) अध्यक्ष द्वारा बैठक की तारीख तथा स्थान अवधारित किया जाएगा ।

(4) सचिव साधारण बैठक की सूचना पंद्रह दिन के पहले देंगे तथा विशेष बैठक की सूचना पाँच दिन के पहले सदस्यों को देंगे जिसमें बैठक का समय तथा स्थान एवं वहाँ कार्य के संव्यवहार विनिर्दिष्ट होंगे ।

(5) बैठक की सूचना संदेशवाहक से या पंजीकृत डाक के माध्यम से दी जा सकेगी ।

(6) सूचना दी गई है विषयवस्तु से भिन्न कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय बैठक में विचार नहीं किया जाएगा ।

परन्तु अध्यक्ष ऐसे अन्य विषयवस्तु पर चर्चा करने की अनुमति केवल तभी देगा जब उनके संबंध में सदस्य द्वारा कम-से-कम दस दिन के पहले सूचना दी गई हो ।

4. गणपूर्ति.- (1) किसी भी बैठक के लिए कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(2) यदि किसी साधारण या विशेष बैठक में गणपूर्ति न हो, तो अध्यक्ष किसी ऐसे अन्य दिवस को बैठक को स्थगित कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे और यदि गणपूर्ति होती हो, तो जो कार्य निपटाए जाते उसका निपटान स्थगित बैठक में किया जाएगा चाहे उसमें गणपूर्ति हो या न हो ।

5. बैठक की कार्यवाहियाँ.- (1) सचिव समिति के सदस्यों के नाम व पते का अभिलेख रखेगा।

(2) सचिव कार्यवृत्त-बही में समिति की बैठक के कार्यवृत्त का रखरखाव करेंगे, जिसमें बैठक की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा एवं कार्यवृत्त-बही में प्रविष्ट किए गए अनुसार कार्यवृत्त की एक प्रति जिसमें साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम विनिर्दिष्ट हों, बोर्ड को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण करने के लिए कार्यवृत्त-बही सचिव के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान खुली रहेगी ।

6. कारबार का निपटान **:** (1) किसी भी बैठक में अध्यक्ष द्वारा जब तक अथवा अनुज्ञात तक नहीं किया जाए, तब बैठक का कारबार इस क्रम में किया जाएगा जिस प्रकार कार्यसूची में दर्ज़ है ।

(2) प्रत्येक प्रश्न, जो समिति के समक्ष लाया जाए, का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और ऐसे प्रश्न पर मतदान द्वारा किया जाएगा तथा एक सदस्य केवल एक मत देगा ।

(3) बराबर मत होने की दशा में, अध्यक्ष द्वितीय या निर्णायक मत देगा ।

अध्याय **- 3**

रेशमकीट बीज उत्पादन का कार्यक्रम एवं योजना बनाना

7. रेशमकीट बीज उत्पादन का कार्यक्रम एवं योजना बनाना. **-** (1) समिति संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय अपेक्षा और विशेष रूप से प्रत्येक राज य के हित के आधार पर रेशमकीट बीज के वार्षिक उत्पादन की योजना बनाएगा ।

(2) समिति वाणिज्यिक बीज के उत्पादन के लिए पैतृक बीज एवं पैतृक बीज कोसा सहित रेशमकीट बीज के उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु कार्यक्रम व योजना बनाने तथा अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दे सकेगी ।

(3) समिति देश में रेशमकीट बीज उत्पादन के वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना पर केन्द्र एवं राज्य सरकार को सलाह दे सकेगी ।

अध्याय **- 4**

रेशमकीट बीज के गुणवत्ता मानक

8. रेशमकीट बीज के प्रकार या उपजाति के गुणवत्ता मानक.- (1) रेशमकीट बीज के गुणवत्ता मानक जननशक्ति, अंडजोत्पति क्षमता, उत्तरजीविता, कोसा पैदावार के विषय में नस्ल लक्षणों के अनुरूप होंगे ।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) ***"जननशक्ति"*** से रोगमुक्त चकत्तों में अंडों की संख्या अभिप्रेत है ।

(ख) ***"अंडजोत्पति"*** से प्रतिशतता में निरूपित किए गए अंडो से बाहर आने वाले कीटों की संख्या अभिप्रेत है ।

(ग) ***"उत्तरजीवीता"*** से कोसा बनाने वाले कीटों की संख्या अभिप्रेत है ।

(घ) ***"कोसा पैदावार"*** से 100 रोग मुक्त बीज चकत्तों से प्राप्त कोसों की संख्या तथा भार अभिप्रेत है ।

(2) पैतृक बीज कोसों के अधिसूचित प्रकार या उपजाति के गुणवत्ता मानक कोशितीकरण, कोसा पैदावार तथा कोसों की संख्या के विषय में अधिनियम की धारा-8 ग के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले नस्ल लक्षणों के अनुरूप होंगे ।

व्याख्या : इस विनियम के प्रयोजन के लिए,-

"प्यूपीकरण" से प्रतिशतता में निरूपित बीज कोसों में जीवित प्यूपों की संख्या अभिप्रेत है ।

(3) बीज उत्पादक पैतृक बीज कोसों की गुणवत्ता का निरीक्षण संचालित करेगा तथा केवल ऐसे कोसों को खरीदेगा, जो अधिसूचित नस्ल के लक्षणों के अनुरूप हों ।

(4) पैतृक बीज कोसे तथा पैतृक अंडे पेब्राइन रोग से मुक्त होंगे । पैतृक बीज कोसों में एक प्रतिशत से अधिक मस्कार्डित ग्रसित प्यूपे नहीं होंगे ।

अध्याय **- 5**

बीज कोसा उत्पादन की शर्तें

9. बीज कोसा उत्पादक द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें.- (1) बीज कोसा उत्पादक के पास शहतूत बगीचा, विसंक्रमणीय कीटपालन गृह अथवा कीटपालन स्थान तथा कीटपालन साधित्र जैसे चॉकी कीटपालन उपकरण, कीटपालन ट्रे, सफ़ाई जाली, प्ररोह कीटपालन रैक या कीटपालन स्टैण्ड तथा चंद्रिका होनी चाहिए ।

(2) बीज कोसा उत्पादक पैतृक रेशमकीट प्रजातियों के कीटपालन का ज्ञान रखेगा तथा उसे राज य अथवा केन्द्रीय रेशम बोर्ड या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के अंतर्गत रेशम उत्पादन संस्थान में रेशमकीट पालन में कम-से-कम एक महीने का प्रशिक्षण लेना होगा :

परंतु वे बीज कोसा उत्पादक, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पहले से ही पैतृक रेशम कीट प्रजातियों का कीटपालन कर रहे हैं, को इस प्रकार के प्रशिक्षण की अपेक्षा नही होगी ।

(3) तसर बीज कोसा उत्पादक के पास अनन्य रूप से बीज कीटपालन हेतु तसर खाद्य पौधारोपण या खाद्य पौधों का वन्य भू-खण्ड होगा तथा मूगा बीज कोसा उत्पादक को बीज कीटपालन हेतु मूगा खाद्य पौधारोपण रखना होगा ।

(4) एरी बीज कोसा उत्पादक बीज कीटपालन हेतु कीटपालन उपकरण के साथ ही एरी खाद्य पौधारोपण तथा विसंक्रमणीय कीटपालन गृह अथवा कीटपालन स्थान रखेगा ।

(5) बीज कोसा उत्पादक,-

(i) केवल सरकारी पैतृक बीज उत्पादन करने वाले फार्मों या बीजागारों से पैतृक बीज खरीदेगा ;

(ii) कीटपालन प्रारंभ करने के पहले कीटपालन गृह, कीटपालन साधित्रों तथा परिसर की सफ़ाई, धुलाई तथा विसंक्रमण करेगा ;

(iii) समरूप वृद्धि के रखरखाव तथा डिम्भक के विकास पर पूरा ध्यान देते हुए रेशमकीट का पालन करेगा ;

(iv) डिम्भक की अवस्था के अनुसार अंतराल प्रदान करेगा ;

(v) रेशमकीट के चरणों के अनुसार कीटपालन गृह में तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता का रखरखाव करेगा ;

(vi) रोगों को रोकने के लिए कीटपालन गृह में स्वास्थ्यकर दशा सुनिश्चित करेगा ;

(vii) यूज़ीग्रसन के नियंत्रण के लिए पूर्वोपाय करेगा ;

(viii) संवातन सहित छाया में रेशमकीट का आरोपण करेगा ;

(ix) प्यूपीकरण के उपरांत ही कोसों की फ़सल लेगा तथा ट्रे में एक परत में इनका भंडारण करेगा ;

(x) कोसों का परिवहन दिन में केवल ठंडे समय में करेगा ;

(xi) बीज कोसों की बिक्री रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादकों को करेगा ;

(xii) बीज या धागाकरण हेतु बीज कोसों की बिक्री के अभिलेखों का रखरखाव करेगा तथा रद्द किए गए कोसों की बिक्री किसी बीज उत्पादक या व्यौहारी को नहीं करेगा ;

(xiii) सत्यापन हेतु बीज अधिकारी द्वारा जब भी आवश्यकता हो, बिक्री का अभिलेख प्रस्तुत करेगा ;

(xiv) बीज अधिकारी को फ़सल के निरीक्षण तथा बीज के क्रय, कोसा के कीटपालन एवं बिक्री संबंधी अभिलेखों को सत्यापित करने की अनुमति देगा तथा निदेशों का अनुपालन करेगा।

(6) उन बीज कोसों को जो अधिसूचित नस्ल के गुणवत्ता लक्षणों को पूरा नहीं करते, बीज के लिए अनुचित घोषित कर इसे रद्द कर दिया जाएगा । इस प्रकार रद्द किए गए बीज कोसों की बिक्री केवल धागाकरण के लिए की जाएगी ।

(7) ऐसे बीज कोसों को भी जिन्हें बीज के लिए योग्य प्रमाणित किया गया है, किन्तु माँग की कमी के चलते खरीदा नहीं जा सका, धागाकरण के लिए भेजा जाएगा ।

(8) बीज कोसा उत्पादक जो बीज कोसों को धागाकरण के उद्देश्य से बिक्री करते हैं, वैध रसीद या संव्यवहार के समर्थन में अन्य दस्तावेजी साक्ष्य का रखरखाव करेंगे ।

(9) तसर तथा मूगा बीज कोसा उत्पादक कीटों को स्थानांतरित करने के पहले खाद्य पौधों से पीड़कों तथा मक्खियों को हटाएगा तथा भूमि की सफ़ाई करेगा ।

अध्याय **- 6**

बीज उत्पादक के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें एवं आवश्यकताएँ

10. उत्पादक केरजिस्ट्रीकरण की शर्तें **.-** (1) शहतूत रेशमकीट बीज उत्पादक मैट्रिकुलेट उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो तथा राज य अथवा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के अन्तर्गत रेशम उत्पादन संस्थान में कम-से-कम तीन महीने के लिए रेशमकीट बीज उत्पादन में प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में मान्यता प्राप्त संस्थान से रेशम उत्पादन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम किया हुआ हो ।

परंतु इन विनियमों को लागू होने के पहले से ही बीज उत्पादन केन्द्र प्रचालित करने वाले बीज उत्पादक को निर्धारित योग्यता रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें रेशमकीट बीज उत्पादन में कम-से-कम एक महीने का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(2) शहतूत रेशमकीट बीज उत्पादक को,-

(क) रजिस्ट्रीकरण के तीसरे वर्ष से प्रति वर्ष न्यूनतम पाँच लाख रोग मुक्त बीज चकत्ते उत्पादित करने का वचनबद्ध देना होगा ;

(ख) रेशमकीट बीज उत्पादन के विभिन्न कार्य, जिसमें बीज कोसा संरक्षण, अण्डनिक्षेपण तथा मातृ शलभ जाँच करने के लिए है, अलग-अलग कमरों वाला मकान रखना होगा ;

(ग) बीज के उत्पादन तथा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए सारणी-1 में विनिर्दिष्ट अपेक्षित उपकरण रखना होगा;

सारणी-1 : प्रति वर्ष 5 लाख रोग मुक्त बीज चकत्ते के उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरण

क्रम सं.	सामग्री	मात्रा [संख्या]
सामान्य उपस्कर		
1.	कोसा अथवा प्यूपा संरक्षण स्टैण्ड	6
2.	अण्ड निक्षेपण स्टैण्ड	2
3.	बीज कोसा अथवा प्यूपा परिरक्षण	100

4.	अण्ड निक्षेपण ट्रे	35
5.	नर शलभ परिरक्षण ट्रे	20
6.	कार्य करने का स्टैण्ड	3
7.	अंड परिरक्षण कैबिनेट	1
8.	हाइग्रोमीटर	3
9.	कक्ष तापक	2
10.	आर्द्रकर	1
11.	इलैक्ट्रॉनिक तुला	1
12.	फुहारक	1
13.	जेनरेटर	1
14.	रेफ्रिजरेटर	1
15.	लघु कोशिका	12500

परीक्षण एवं उपचार उपस्कर		
1.	शलभ संदलन एकक	1
2.	शलभ परीक्षण मेज़ व स्टूल	1
3.	अपकेन्द्रण यंत्र तथा उपसाधन	1
4.	सूक्ष्मदर्शी	2
अबद्ध अंड उत्पादन के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ		
1.	हाइड्रोमीटर	2
2.	अम्ल उपचार कुंड	1
3.	अंड प्रक्षालन ट्रे	1
4.	अंड शुष्कन कक्ष	1
5.	अंड निष्पावन मशीन	1

(घ) बीज कोसा उत्पादकों से प्रमाणित पैतृक बीज कोसों का क्रय करेंगे ;

(ङ) बीज कोसा उत्पादकों के माध्यम से पैतृक बीज कोसों के उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित इस विनियम में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करेंगे ;

(च) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित संकर बीजों के प्रकार अथवा उपजाति का ही उत्पादन करेंगे ;

(छ) रजिस्ट्रीकरण समिति की लिखित अनुज्ञा के बिना बीज उत्पादन केन्द्र का स्थान नहीं बदलेंगे ;

(ज) इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए तरीके एवं कार्यविधि को अपनाते हुए बीज उत्पादित करेंगे ;

(झ) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार बीज परीक्षण संचालित करेंगे तथा बीज को प्रमाणित करेंगे ;

(ञ) अंडे देने की तारीख से एक दिन से लेकर 20 दिनों से अधिक अवधि के लिए संकर अथवा अम्ल उपचारित द्विप्रज रेशमकीट अंडों का प्रशीतन नहीं करेंगे ;

(ट) रेशमकीट अंडों का पुन: प्रशीतन नहीं करेंगे ;

(ठ) बीज कोसा क्रय, उत्पादित बीज की मात्रा, शलभ परीक्षण विवरण तथा रोग आपतन एवं बीज के निपटान संबंधी अद्यतन अभिलेखों का रखरखाव कर प्ररूप-1 में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ;

(ड) बीज कोसों का प्रशीतन नहीं करेंगे ;

(ढ) रजिस्ट्रीकरण समिति अथवा केन्द्रीय रेशमकीट बीज समिति द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत बीज अधिकारी या बीज विश्लेषक या किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण के दौरान अभिलेख तथा उत्पाद उपलब्ध कराएँगे और उसकी जाँच करने में उनकी मदद करेंगे ;

(3) तसर, मूगा तथा एरी के रेशमकीट बीज उत्पादक को राज य अथवा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के अंतर्गत रेशम उत्पादन संस्थान में कम-से-कम एक महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(4) तसर, मूगा तथा एरी के बीज उत्पादक को रजिस्ट्रीकरण के पाँचवें वर्ष तक प्रति वर्ष न्यूनतम 5000 रोग मुक्त बीज चकते उत्पादित करना है । आवश्यक बीजागार उपकरण नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात् :-

(क) **तसर** - सूक्ष्मदर्शी, मिट्टी के कप, अंड शुष्कन ट्रे, फुहारक, तापमापी, खरल-मूसली, अंड निक्षेपण बक्सा/नाइलॉन जाली की थैली ;

(ख) **मूगा** - कोसा संरक्षण रैक, ट्रे, खरिकॉ, बाँस के पिंजरे, तापमापी, अंडा लेने के बक्से, फुहारक, तापक, हीटर सूक्ष्मदर्शी तथा शलभ परीक्षण सेट ;

(ग) **एरी** - कोसा संरक्षण रैक, ट्रे, शलभ पिंजरा, जाली की थैली, तापमापी, अंडा देने का कक्ष, अंडा लेने के बक्से, फुहारक, सूक्ष्मदर्शी तथा शलभ परीक्षण सेट ;

(5) तसर, मूगा अथवा एरी बीज कोसों का संरक्षण अच्छे वायु संचार वाले कमरे में तापमान तथा आपेक्षिक आर्द्रता क्रमश: 26-280 सें तथा 75-80% पर रखते हुए किया जाएगा ।

11. शहतूत रेशमकीट बीज के उत्पादन के गुणवत्ता मानक .- (1) बीजागार कार्य करने से पहले बीज उत्पादक बीजागार कक्ष, परिसर तथा साधित्रों की सफ़ाई, धुलाई तथा रोगाणुनाशन करेगा ।

(2) बीज उपादक संकर चक्तों को तैयार करने के लिए 2:1 अनुपात में बहुप्रज तथा द्विप्रज पैतृक बीज कोसों का क्रय कर उसका रखरखाव करेगा ।

(3) 25 ± 10 सें. तापमान, 75 ± 5% आपेक्षिक आर्द्रता तथा 10 घंटे प्रकाश तथा 14 घंटे अंधकार देते हुए एक परत में बीज कोसों तथा प्यूपों का परिरक्षण करेगा ।

(4) अन्त: प्रजनन को रोकने तथा संकर चक्तों की तैयारी हेतु वांछति मादा एवं नर के युग्मन में सुविधा के लिए नर तथा मादा शलभों को अलग करेगा ।

(5) जब शलभों का युग्मन किया जाता है, उन्हें कम-से-कम तीन घंटों के लिए युग्मन करने दिया जाएगा । जब नर शलभों का उपयोग दूसरे युग्मन के लिए किया जाता है, उन्हें युग्मन से पहले कम-से-कम तीन घंटों के लिए आराम करने दिया जाएगा । दूसरी बार युग्मन करने वाले नर शलभों को कम-से-कम चार घंटों के लिए युग्मन करने दिया जाएगा ।

(6) नर शलभों का उपयोग दो से अधिक युग्मन के लिए नहीं करेगा ।

(7) नर शलभों की प्रबलता तथा तेजस्विता बनाए रखने के लिए उनका परिरक्षण 7-90 सें. पर करेगा ।

(8) शलभों को चोट पहुँचाए बिना उन्हें सावधानी से संभालेगा ।

(9) मादा शलभों को 250 सें. ± 10 सें. तापमान, 75 ± 5% आपेक्षिक आर्द्रता में अल्प अंधकार दशा में अण्डनिक्षेपण के लिए लेबुल लगे अंड शीटों पर चौबीस घंटों के लिए अंडा देने दिया जाएगा ।

(10) पेब्राइन बीजाणु का पता लगाने के लिए बीज उत्पादक को मातृ शलभ परीक्षण के लिए निम्नलिखित विधि का पालन करेगा,-

(क) अंडे देने के बाद मातृ शलभ नमूनों को इकट्ठा करेगा । मातृ शलभों की संख्या का नमूना तैयार करेगा एवं जाँच निम्नानुसार करेगा :

(i) पहला दिन	:	सभी शलभ [100%]
(ii) दूसरा दिन	:	20% शलभ
(iii) तीसरा दिन	:	20% शलभ
(iv) चौथा दिन	:	सभी शलभ [100%]

(ख) शलभों के नमूने इकट्ठा करते समय आकारिकी विरू पता वाले शलभों अथवा जिन शलभों ने कम अथवा विकृत अंडे दिए, उन्हें न छोड़ने पर ध्यान देगा ;

(ग) जाँच के लिए ताज़े शलभ अथवा 700 सें. पर 6 घंटों के लिए सुखाने के बाद भंडारित शलभों का उपयोग किया जाएगा ;

(घ) बीस शलभों को संदलन जार में लेकर 0.6% पौटाशियम कार्बोनेट का 80 मि ली घोल [90 मि ली शुष्क शलभ के लिए] मिलाकर दो मिनट के लिए 10000 प्रति मिनट घूर्णन पर संदलित किया जाएगा । जार को दो मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा, तत्पश्चात् उसे सेन्ट्रिफ्यूज ट्यूब में फिल्टर किया जाएगा और निस्यंद को तीन मिनट के लिए 3000 प्रति मिनट घूर्णन पर अपकेन्द्रीकरण किया जाएगा ;

(ङ) अधिप्लवी को छोड़ दिया जाएगा और अवसाद को 2-3 बूंद पोटाशियम कार्बोनेट [0.6%] घोल में विलीन कर अच्छी तरह मिलाया जाएगा ;

(च) विलयित घोल से एक आलेपन काँच के छड़ से काँच के स्लाइड पर रखकर पेब्राइन बीजाणु की जाँच के लिए 600 x के आवर्धन पर सूक्ष्मदर्शी के नीचे जाँच की जाएगी । प्रत्येक आलेपन में पाँच क्षेत्रों का परीक्षण किया जाएगा ।

(11) अगर पेब्राइन रोग का आपतन हो, तो बीज उत्पादन को रोक दिया जाएगा । अगर पहले ही कोई अंडे तैयार किए गए हैं, तो उन्हें जलाकर नष्ट किया जाएगा और संदूषण को रोकने के लिए सभी रोगनिरोधी उपाय किए जाएँगे ।

(12) पेबाड्रन का आपतन लिखित में तुरंत अधिकार-क्षेत्र के बीज अधिकारी को आवश्यक ब्योरा, क्रय स्रोत, ढेर संख्या, क्रय तारीख, जाँच की तारीख, जाँच का चरण तथा परीक्षण परिणाम के विवरण सहित सूचित किया जाएगा ।

(13) जाँच के बाद सभी अंड शीटों की भौतिक जाँच की जाएगी । विरूप अंडे तथा दो सौ पचास अंडों से कम वाले चकत्तों को हटाया जाएगा ।

(14) रोग मुक्त बीज चकत्तों को पंद्रह मिनट तक दो प्रतिशत फार्मेलीन में डुबोकर सतही रोगाणुनाशन किया जाएगा ।

(15) द्विप्रज संकर अंड उत्पादन के मामले में घटक प्रजाति के कोसों का क्रय कर समान संख्या में उनका रखरखाव किया जाएगा ।

(16) बीज उत्पादक नर एवं मादा प्यूपे को अलग करेगा ।

(17) अलग किए गए नर एवं मादा प्यूपों को लेबुल कर भिन्न-भिन्न कक्ष में अलग से परिरक्षित किया जाएगा ।

(18) अबद्ध अंडे की तैयारी के लिए अंडे देने के लिए स्टार्च लगे शीटों का उपयोग किया जाएगा और अंडों को अलग कर अच्छी तरह धोया जाएगा ।

(19) तुरंत कूर्चन के लिए द्विप्रज अंडों की उपरति रोकने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 1.075 आपेक्षिक घनत्व में 5 मिनट के लिए 460 सें. पर अथवा 1.1 आपेक्षिक घनत्व में 90 मिनट के लिए 250 सें. पर उपचार किया जाएगा ।

(20) अम्ल के अंश को पूरी तरह से हटाने के लिए अम्ल उपचारित अंडों को बहते पानी में अच्छी तरह से धोना होगा ।

(21) धोये हुए अंडों को सुखाकर हल्के अंडों को निष्पावन से निकालकर लगभग 25000 अंडे प्रति बक्सा अथवा 50 रोग मुक्त बीज चकत्ते के साथ अबद्ध अंडा बक्सों में उसी दिन पैक करना होगा ।

(22) शीतनिष्क्रियित द्विप्रज संकर अंडों को उपरति से बाहर आने के लिए शीतागार में रखा जाएगा ।

(23) विमोचित करने के बाद अंडों को ऊष्मायित कर वितरित किया जाएगा ।

(24) बीज उत्पादक यह सुनिश्चित करेंगे कि, -

(क) अंडे रोग मुक्त तथा प्रमाणित होंगे ;

(ख) अंडों की औसत संख्या प्रति रोग मुक्त बीज चकत्ते चार सौ पचास से कम नहीं होगी;

(ग) दो सौ पाचास अंडों से कम वाले रोग मुक्त बीज चकत्तों को नहीं रखा जाएगा ;

(घ) विरूप अंडे अथवा गुच्छति अंडे वाले रोग मुक्त बीज चकत्तों को निकाला जाएगा ;

(ङ) ऊष्मायित अंडों का प्रस्फुटन नब्बे प्रतिशत से कम नहीं हेगा ।

(25) बीजागार का नाम, ढेर संख्या, रेशमकीट बीज की उपजाति अथवा प्रकार, परिमाण, अंडे देने की तारीख तथा प्रस्फुटन की संभावित तारीख को अंकित करते हुए बीज उत्पादक द्वारा बेचे गए बीज को प्रमाणित किया जाएगा ।

(26) बीज उत्पादक परीक्षण के परिणामों का अभिलेख रखेंगे और जाँच के बाद ठीक पाने पर उनके द्वारा उत्पादित बीज को रोग मुक्त प्रमाणित करेंगे और केवल रोग मुक्त प्रमाणित रेशमकीट बीज को वितरित करेंगे ।

(27) यदि बीज उत्पादक क्रय किए गए पैतृक बीज कोसों से न्यूनतम बीस प्रतिशत रोग मुक्त बीज चकत्ते वसूल करने में असफल रहता है, तो वह उसे अस्वीकार कर देगा ।

12 तसर रेशमकीट बीज के उत्पादन के गुणवत्ता मानक.- (1) **बीजागार** कक्ष, मिट्टी के कप तथा अन्य साधित्रों को अच्छी तरह साफ़ करना, धोना तथा रोगाणुनाशित करना होगा ।

(2) बीज कोसों को माला के रू प में बाँध जाएगा जिसमें पाँच कोसों के बीस गुच्छों में एक सौ कोसे होंगे तथा लटकाकर परिरक्षित किया जाएगा ।

(3) ग्रीष्म काल के दौरान बीजागार के अंदर तापमान तथा आर्द्रता क्रमश: 350 सें. से कम तथा 40-60% बनाए रखेंगे ।

(4) बीज कोसों की नियमित रू प से जाँच कर उन्हें छाँटा जाएगा ।

(5) निर्गमन के तीन से चार घंटे बाद शलभों को अंधकार में चार से छ: घंटों के लिए युग्मन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ओर मिट्टी के कप अथवा नाइलॉन बैग में अंडे देने दिया जाएगा ।

(6) मरे तथा पुराने शलभों को रोज़ निकाला जाएगा ।

(7) नाइलॉन बैग जिसमें शलभों को अंडे देना अनुज्ञात किया जाता है, उन्हें दो के गुच्छों में अण्डनिक्षेपण कक्ष में 300 सें. तापमान में तथा 80-90 प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता में लटकाया जाएगा ।

(8) अंडों को बहत्तर घंटों के तुरंत बाद संग्रहण किया जाएगा ।

(9) मातृ शलभों को पेब्राइन के आपतन का पता लगाने के लिए एक-एक करके सूक्ष्मदर्शी जाँच की जाएगी तथा पेब्राइन संक्रमित शलभों तथा चकत्तों को नष्ट किया जाएगा ।

(10) अंडों को 40 सेकंड तक 0.5 % सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड घोल में डुबोकर एवं धोकर विसंक्रमित किया जाएगा और पानी में अच्छी तरह धोया जाएगा तथा धोये गए अंडों को छाया में पंखे के नीचे सुखाया जाएगा और इसे सुखाने के बाद अंडों को मलमल कपड़े की थैलियों में दो सौ ग्राम की इकाइयों में पैक कर लेबुलीकृत किया जाएगा ।

(11) परिवहन के दौरान अंडों को 300 सें. के ऊपर तापमान तथा सत्तर प्रतिशत से कम आपेक्षिक आर्द्रता में नहीं रखा जाएगा ।

(12) प्रत्येक वर्ष जून के प्रथम पखवाड़े के दौरान तैयार किए गए अंडों को 8 ± 20 सें. पर आठ से दस दिनों के लिए, यदि आवश्यक हो, तो परिरक्षित किया जा सकता है ।

(13) बीज उत्पादक सुनिश्चित करेंगे कि, -

(क) अंडों को रोग मुक्त प्रमाणित किया जाएगा ।
(ख) अंडों का भार प्रति रोग मुक्त चकत्ता दो ग्राम से कम नहीं होगा ।
(ग) ऊष्मायित अंडों का प्रस्फुटन अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

13 मूगा रेशमकीट बीज के उत्पादन के गुणवत्ता मानक,-(1) बीजागार कक्ष तथा साधित्रों की अच्छी तरह सफ़ाई, धुलाई तथा विसंक्रमण किया जाएगा ।

(2) बीज कोसों को एकल परत 26-280 सें. में 80-85% आपेक्षिक आर्द्रता में अर्द्ध अंधकार में परिरक्षित किया जाएगा ।

(3) निर्गमन के दो से तीन घंटे बाद शलभों को बाँस के पिंजड़े में अंधकार में पाँच से छ: घंटों के लिए युग्मन करने दिया जाएगा ।

(4) शलभों को रात में विसंयुग्मित कर मादा शलभों को बहत्तर घंटों के लिए नाइलॉन थैलियों में अंडे देने दिया जाएगा अथवा खरिका से अलग-अलग बाँधा जाएगा ।

(5) पेब्राइन रोग आपतन का पता लगाने के लिए अलग-अलग शलभ जाँच की जाएगी तथा पेब्राइन संक्रमित अंडों को अलग कर जलाया जाएगा ।

(6) अंडों को फार्मेलीन अथवा ब्लीचिंग पाउडर के घोल से धोकर छाया में सुखाकर मलमल के कपड़े की थैली अथवा लकड़ी के फ्रेम के बक्से में पचास ग्राम की इकाई में पैक कर लेबुलीकृत किया जाएगा ।

14 **एरी रेशमकीट बीज के उत्पादन के गुणवत्ता मानक,-** (1) बीजागार कक्ष एवं साधित्रों की अच्छी तरह सफ़ाई, धुलाई तथा विसंक्रमण किया जाएगा ।

(2) बीज कोसों का क्रय एवं परिवहन केवल ठंडे समय में संपूर्ण प्यूपीकरण के बाद किया जाएगा ।

(3) बीज कोसों को एकल परत में 26-280 सें. में तथा 75-80% आपेक्षिक आर्द्रता में अच्छे वातानुकूलित कक्ष में अर्द्ध-अंधकार में परिरक्षित किया जाएगा ।

(4) शलभों का परिरक्षण युग्मन पिंजड़े में अंधकार में किया जाएगा और आठ से दस घंटों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(5) मादा शलभों को विसंयुग्मन के बाद अंडे देने के लिए नाइलॉन बैग/खरिका में रखा जाएगा।

(6) पेब्राइन रोग के आपतन का पता लगाने के लिए मातृ शलभ की जाँच की जाएगी ।

(7) अंडों को फार्मेल्डिहाइड घोल में धोकर, सुखाकर मलमल के कपड़े के बैग में अथवा छिद्रित अंड बक्सों में साठ ग्राम की इकाई में पैक कर लेबुलीकृत किया जाएगा ।

(8) अंडों को सीधे सूरज की रोशनी, गर्मी अथवा रसायन में नहीं रखा जाएगा और इनका परिवहन केवल ठंडे समय में किया जाएगा ।

अध्याय **- 7**

15. चॉकी रेशमकीट पालक के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें एवं आवश्यकताएँ.- (1) चॉकी रेशमकीट पालक को मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र और राज य अथवा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के अधीन रेशम उत्पादन संस्थान में कम-से-कम तीन महीने का चॉकी रेशम कीटपालन में प्रशिक्षण लेने के प्रति मान्यता प्राप्त संस्थान से रेशम उत्पादन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम रखना होगा :

परंतु इन विनियमों के लागू होने के पहले से ही चॉकी रेशम कीटपालक, जो पहले ही चॉकी कीटपालन केन्द्र चला रहे हैं, को निर्धारित योग्यता रखने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन्हें चॉकी रेशम कीटपालन में कम-से-कम एक महीने की अवधि का पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम-प्रशिक्षण लेना होगा ।

(2) चॉकी रेशमकीट पालक रजिस्ट्रीकरण के तीसरे वर्ष से प्रति वर्ष न्यूनतम 1.5 लाख रोग मुक्त बीज चकत्ते का कीटपालन करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकृत चॉकी रेशम कीटपालक सिंचाई सुविधा के साथ कम-से-कम दो एकड़ उन्नत प्रजाति का चॉकी शहतूत उद्यान अथवा पर्याप्त मात्रा में शहतूत वृक्ष रखेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत चॉकी रेशम कीटपालक को पत्तियों के भंडारण, रेशमकीट के पालन और अन्य उपस्करों के लिए कक्ष सहित चॉकी कीटपाल गृह रखना होगा ।

(5) रजिस्ट्रीकृत चॉकी कीटपालक को सारणी-2 में यथा-विनिर्दिष्ट साधित्रों अथवा उपकरण रखना होगा ।

सारणी-2 : चॉकी कीटपालन केन्द्र की स्थापना के लिए अपेक्षित उपकरण/साधित्र सामग्री

क्रम सं.	सामग्री	मात्रा [संख्या]
1.	चॉकी कीटपालन स्टैण्ड	4
2.	कीटपालन ट्रे	400
3.	फुहारक	1
4.	पर्ण संकर्तन युक्ति	1
5.	आर्द्रकर	2
6.	कमरा तापक	2
7.	ऊष्मायन फ्रेम	200
8.	कूर्चन जाली	200

9.	शय्या सफ़ाई जाली	400
10.	सूक्ष्मदर्शी	1
11.	आहार स्टैण्डü	6
12.	बेसिन सहित लोहे का स्टैण्ड	2
13.	संक्रमणहारी मुखौटा	1
14.	आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी	2
15.	सिलिंडर सहित फ्लेम गन	1
16.	जेनरेटर	1

16. रजिस्ट्रीकृत **चॉकी रेशमकीट पालक द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें.-**
रजिस्ट्रीकृत चॉकी रेशमकीट पालक,-

(i) इन विनियमों में यथा-निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले रेशमकीट बीज उत्पादक से केवल प्रमाणित संकर बीज का ही क्रय करेगा ;

(ii) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में यथा-विनिर्दिष्ट केवल उन्हीं प्रकार अथवा किस्म का रेशमकीट पालन एवं लेन-देन करेगा ;

(iii) रजिस्ट्रीकरण समिति की लिखित अनुमति के बिना चॉकी कीटपालन केन्द्र के स्थान को नहीं बदलेगा ;

(iv) निम्न विधि एवं प्रक्रियाओं को अपनाते हुए चॉकी कीटों का कीटपालन करेंगे, अर्थात् :-

(क) संकर नस्ल के मामले में डिम्भक प्रति 100 रोमुबीच की संख्या अड़तीस हज़ार से कम और द्विप्रज संकर के मामले में चौवालीस हज़ार से कम नहीं होगी ;

(ख) डिम्भक समान आकार के होंगे तथा रोग मुक्त होने चाहिए ;

(ग) शहतूत उद्यान का रखरखाव करेगा ;

(घ) प्रत्येक कीटपालन प्रारंभ करने के पहले कीटपालन गृह, कीटपालन साधित्रों तथा परिसर की सफ़ाई, धुलाई एवं विसंक्रमण करेगा ;

(ङ) रेशमकीट अंडे का संग्रहण एवं परिवहन ठंडे समय में करेगा तथा परिवहन के दौरान सीधी धूप एवं ऊष्मा से बचेगा ;

(च) अंडे का ऊष्मायन 250 से. एवं अस्सी प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता में करेगा ;

(छ) चॉकी रेशमकीट डिम्भकके पालन के लिए मुलायम शहतूत पत्तियों का उपयोग करेगा ;

(ज) चॉकी कीटपालन गृह में स्वास्थ्यकर दशा सुनिश्चित करेगा ;

(झ) डिम्भकीय अवस्था के अनुरू प अन्तराल प्रदान करेगा ;

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि डिम्भक समरूप ढंग से निर्मोचन के लिए बैठा है और समय से आहार शुरू कर दिया है तथा जो डिम्भक, निर्मोक के लिए नहीं बैठता, अस्वीकृत करेगा तथा वृद्धि एवं निष्पादन में यदि 10% से अधिक इस प्रकार की कोई अनियमितता हो, तो निकटतम बीज अधिकारी को रिपोर्ट करेगा ।

(ट) निर्मोचन के दौरान तथा निर्मोक के बाद आहार पुनरारंभ करने के समय उपयुक्त रोग निरोधी उपाय करेगा ।

(ठ) चॉकी रेशमकीट पालन के दौरान कीटपालन गृह में 28 ± 1^0 से. तापमान तथा 85± 5% आपेक्षिक आर्द्रता का रखरखाव करेगा ।

(ड) चॉकी कीट का परिवहन दिन में केवल ठंडे समय में करेगा ;

(v) निम्न प्रक्रिया के अनुसार चॉकी कीट का परीक्षण करेगा, अर्थात् :-

(क) कमज़ोर डिम्भक को प्रथम व द्वितीय निर्मोक के दौरान चुनेगा और खरल-मूसली का उपयोग करते हुए 0.6 प्रतिशत के पोटाशियम कार्बोनेट विलयन के साथ समांगीकृत करेगा ;

(ख) समांगी को बीकर में तीन मिनट के लिए बैठने दिया जाएगा तथा निस्यंदन कर लिया जाएगा ;

(ग) तलछट 0.6 प्रतिशत पोटाशियम कार्बोनेट विलयन की कुछ बूँद में घुल जाएगा और तैयार किए गए आलेप की जाँच सूक्ष्मदर्शी से की जाएगी ;

(vi) अण्डे या चॉकी कीटों को प्रशीतित नहीं करेगा ।

(vii) संकर बीज के क्रय, डिम्भकीय परीक्षण विवरण, रोग आपतन एवं चॉकी कीटों की व्ययन का अद्यतन अभिलेख रखेगा और प्ररूप-2 में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(viii) समिति द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत बीज अधिकारी अथवा बीज विश्लेषक अथवा अन्य ऐसे अधिकारी को उनके दौरे के दौरान अभिलेख एवं उत्पादों का मुक्त अभिगम सुलभ कराएगा और ऐसी सहायता करेगा, जो अपेक्षित हो ;

(ix) यदि रोग का कोई आपतन हो, तो वह कीटपालन बन्द कर देगा, डिम्भक के पूरे समूह को रद्द कर नष्ट कर देगा । संदूषण को रोकने के लिए आवश्यक रोग निरोधी उपाय भी किया जाएगा ;

(x) ऐसा आपतन हो तो आवश्यक विवरण जैसे बीज का स्रोत, ढेर संख्या, क्रय तारीख, परीक्षण तारीख, परीक्षण के चरण तथा परीक्षण परिणाम के विवरण सहित लिखित रू प में बीज अधिकारी एवं बीज उत्पादक को तुरन्त सूचित करेगा ;

(xi) चॉकी कीट को, यदि रोग मुक्त पाया जाता है, तो 'परीक्षणोपरोन्त ठीक' प्रमाणित किया जाएगा और अपने नाम तथा संव्यवहार की तारीख डालते हुए इसे प्रमाणित करेगा ।

अध्याय **- 8**

17 रेशमकीट बीज तथा चॉकी रेशमकीटों के व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें एवं अपेक्षाएँ**.-** व्यौहारी **को** ,-

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र और राज्य अथवा केन्द्रीय रेशम बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के अंतर्गत रेशम उत्पादन संस्थान में कम-से-कम तीन महीने का बीज, कोसा तथा चॉकी रेशमकीट डिम्भक के संचालन में प्रशिक्षण लेने के प्रति मान्यता प्राप्त संस्थान से रेशम उत्पादन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम रखना होगा ;

(ii) रेशमकीट बीज के भण्डारण एवं परिरक्षण हेतु भवन ;

(iii) स्टैण्ड, ट्रे, अण्ड भंडारण पिंजरा, आर्द्रतामापी, कमरा तापक, आर्द्रकर, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, विद्युत फुहारक तथा ऊष्मायित्र, आदि सहित उपकरण अथवा साधित्र रखने होंगे।

18. रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा रेशमकीट बीज एवं चॉकी रेशमकीट संबंधी पालन की जाने वाली शर्तें .- रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी,-

(i) प्रमाणित बीज का क्रय और संव्यवहार करेगा, जो इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानक को पूरा करता हो ;

(ii) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में यथा-निर्दिष्ट रेशमकीट के प्रकार या किस्म का ही लेन-देन करेगा ;

(iii) रजिस्ट्रीकरण समिति की लिखित अनुमति के बिना कारबार-परिसर के स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा ;

(iv) रेशमकीट अंडों अथवा चॉकी रेशमकीट का परिवहन दिन में केवल ठंडे समय में करेगा ;

(v) अंडा देने की तिथि के एक दिन के बाद, बीस दिनों की अनुज्ञेय सुरक्षा अवधि से परे संकर नस्ल एवं अम्लोपचारित द्विप्रज संकर रेशमकीट बीज को प्रशीतित नहीं करेगा ;

(vi) बीज कोसे को प्रशीतित नहीं करेगा ;

(vii) बीज के क्रय एवं व्यय संबंधी सभी विवरण एवं दस्तावेजों का रखरखाव करेगा और प्ररूप-3 में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(viii) बीज अधिकारी के दौरे के दौरान अभिलेख एवं दस्तावेजों को सुलभ करवाएगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीज परिरक्षण की प्रक्रिया एवं मानकों का अनुपालन किया गया है, उन्हें अभिलेख एवं परीक्षण के सत्यापन में सहायता करेगा ।

(ix) नाम, संव्यवहार की तारीख, बीज बिक्री के चरण, आदि के उल्लेख के साथ अपने द्वारा बेचे गए बीज को प्रमाणित करेगा ।

अध्याय **- 9**

रेशमकीट बीज का निर्यात एवं आयात

19. रेशमकीट बीज के निर्यात एवं आयात की शर्तें एवं मानक.- (1) **कोई व्यक्ति रेशमकीट बीज का निर्यात अथवा आयात नहीं करेगा**, **जब तक कि**,-

(i) **वह रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी न हो** ;
(ii) वह यथास्थिति निर्यात अथवा आयात की अनुज्ञप्ति नही रखता हो ;
(iii) वह समिति या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की पूर्व-अनुज्ञा न रखता हो ;
(iv) वह संगरोध अधिकारी द्वारा जारी बैध संगरोध प्रमाण-पत्र न रखता हो ।

(2) प्रत्येक निर्यातकर्ता/आयातकर्ता समय-समय पर भारत सरकार द्वारा दिए गए रेशमकीट बीज के निर्यात एवं आयात की शर्तों का अनुपालन करेगा ।

(3) प्रत्येक निर्यातकर्ता केवल संकर रेशमकीट बीज का निर्यात करेगा और किसी रूप में शुद्ध प्रजाति के रेशमकीट का निर्यात नहीं करेगा ।

(4) प्रत्येक निर्यातकर्ता निर्यात के लिए संगरोध अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त प्रत्येक बीज का निरीक्षणों के उपरांत अनुज्ञा प्राप्त करेगा जिसके द्वारा इसे सील कर "निरीक्षित एवं प्रमाणित" अंकित किया जाएगा और निर्यात के पहले इस प्रकार की सील में कोई फेर-फार या विकृति नहीं की जाएगी ।

(5) रेशमकीट बीज का आयात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समिति को आयातित बीज की निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय **- 10**

रेशमकीट बीज प्रमाणन अभिकरण के गठन के मानदण्ड

20. रेशमकीट बीज प्रमाणन अभिकरण के गठन के मानदण्ड.- (1) **अभीकरण के पास अपेक्षित भवन एवं उपस्कर होंगे तथा बीज के परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए समय-समय पर समिति द्वारा निर्धारित शर्तों एवं आवश्यकताओं को पूरा करेगा ।**

(2) **अभिकरण समय-समय पर समिति द्वारा दी गई परीक्षण प्रक्रिया एवं रीतियों का पालन करेगा ।**

(3) **अभिकरण को अपेक्षाओं के मूल्यांकन तथा रेशमकीट बीज उत्पादकों एवं व्यौहारियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु निरीक्षण संचालित करने के लिए अपेक्षित गतिशीलता तथा बीज उत्पादन का ज्ञान रखना होगा ।**

(4) **अभिकरण को इन विनियमों के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट शलभ के लिए मानक नमूना एवं परीक्षण प्रकिया का पालन करना होगा ।**

(5) **अभिकरण रेशमकीट बीज उत्पादकों एवं व्यौहारियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए निरीक्षण करने तथा आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगा ।**

अध्याय **- 11**

बीज परीक्षण प्रयोगशाला

21. केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधाएँ **.- 1** केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला को निम्नलिखित अवसंरचना और सुविधाएँ रखनी होगी अर्थात् **:-**

i) **प्रयोगशाला भवन**;
ii) **फेस कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी**;
(iii) 10,000 **प्रति मिनट घूर्णन सहित कटर टाइप मिक्सर**;
(iv) **अपकेन्द्रण यंत्र**;
(v) **साइक्लो मिक्सर**;
(vi) **रेफ्रिज़रेटर।**

22. बीज विश्लेषक की अर्हता. **-** (1) **बीज विश्लेषक के रू प में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर और उसे रेशम उत्पादन अथवा रेशमकीट बीज उत्पादन के क्षेत्र में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए** ;-

परंतु ऐसे व्यक्ति को, जो प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हों तथा अपेक्षित अर्हता रखते हों, को वरीयता दी जाएगी ।

23. बीज अधिकारी की अर्हता. **- बीज अधिकारी के रू प में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा रेशम उत्पादन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा रेशम उत्पादन अथवा रेशमकीट बीज उत्पादन के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।**

24. बीज अधिकारी के अधिकार.- धिनियम की धारा **8** ज द्वारा प्रदत्त अधिकार के साथ-साथ **बीज अधिकारी निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग करेंगे, अर्थात्** ;-

i) **स्थल, अवसंरचना सुविधाओं, उपकरण का निरीक्षण और यह निर्धारित करेगा कि क्या रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदक विनियम के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करता है** ;

ii) **पैतृक बीज उत्पादक के परिसर का निरीक्षण तथा यह सुनिश्चित करेगा कि क्या कीटपालक के पास वैध रजिस्ट्रीकरण है, रोग मुक्त बीज चकत्ते नामनिर्दिष्ट मूल बीज फार्म अथवा बीजागार से प्राप्त किया गया है, कीटपालन गृह और साधित्रों का विसंक्रमण किया गया है, फ़सल पेब्राइन से मुक्त है तथा फ़सल विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरू प है** ;

iii) **यदि बीज फ़सल पेब्राइन रोग से ग्रसित पाई जाती है, तो कृषक को फ़सल की स्थिति के बारे में जानकारी देने के पश्चात् उसे नष्ट करने की कार्रवाई करेगा** ;

iv) **निरीक्षण तथा यह सुनिश्चित करना कि क्या बीज कीटपालक ने अपने कोसों को रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक अथवा व्यौहारी को बिक्री किया है अथवा माँग के अभाव या गुणवत्ता सन्नियमों एवं मानकों को पूरा न करने की वजह से अस्वीकृत किया है** ;

v) **बीज उत्पादक के परिसर का निरीक्षण करेगा तथा यह सुनिश्चित करना कि क्या उसके पास वैध रजिस्ट्रीकरण तथा सभी सुविधाएँ एवं अपेक्षाएँ हैं** ;

vi) **निरीक्षण तथा यह सुनिश्चित करना कि क्या बीज उत्पादन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है, बीज की जाँच की गई है तथा यह प्रमाणित किया गया है कि बीज पेब्राइन रोग से मुक्त है, रिपोर्ट एवं दस्तावेजों को अद्यतन रखा गया है, इस विनियम के अन्तर्गत यथा-विनिर्दिष्ट सफ़ाई एवं स्वास्थ्यता का रखरखाव किया गया है और अभिलेखों का रखरखाव समुचित ढंग से किया गया है** ;

vii) **बीज कोसों एवं अभिलेखों का निरीक्षण करेगा और यह पुष्टि करेगा कि बीज कोसों का क्रय केवल रजिस्ट्रीकृत पैतृक बीज कीटपालक से किया गया है** ;

viii) **रजिस्ट्रीकृत चॉकी रेशमकीट पालक के चॉकी रेशमकीट फ़सल का निरीक्षण करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि क्या चॉकी कीटपालन गृह एवं उपस्करों का विसंक्रमण किया गया है, डिम्भक की जाँच की गई है तथा यह प्रमाणित किया गया है कि यह पेब्राइन रोग से मुक्त है, रिपोर्ट एवं दस्तावेज़ों का रखरखाव अद्यतन है तथा सफ़ाई एवं स्वास्थ्यता का रखरखाव किया गया है और अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया गया है ।**

अध्याय **- 12**

25. रेशमकीट बीज का उत्पादन**,** आपूर्ति**,** वितरण**,** व्यापार एवं वाणिज्य.- **समिति रेशमकीट बीज प्रजाति या उपजाति के व्यापार व वाणिज्य का संवर्धन करने के लिए जैसा आवश्यक समझे रेशमकीट बीज के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार व वाणिज य पर समय-समय पर ऐसी शर्त एवं प्रतिबंध लगा सकती है ।**

****

प्ररूप : 1

(**विनिमय** 10 **के उप-विनिमय-** (2) **का खण्ड** (**ठ) देखें**)

रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक द्वारा दिए जाने वाले विवरण

1	बीज उत्पादक का नाम			
2	रजिस्ट्रीकरण संख्या			
3	समाप्त तिमाही की प्रगति			वर्ष : ..... (जून / सितंबर /दिसंबर / मार्च)
4	<u>बीज उत्पादन</u>			
	क)	ढेरों की संख्या उपजातिवार		
	ख)	क्रय किए गए बीज कोसों की मात्रा उपजातिवार (संख्या में व वजन में कि ग्रा)		
	ग)	बीज कोसे का अनुपात (नर व मादा पैतृक)		
	घ)	उत्पादित बीज की मात्रा उपजातिवार		
		i)	संख्या में	
		ii)	अबद्ध अंडे के मामले में वज़न में (कि ग्रा)	
	ङ)	युग्मन का औसत %		
	च)	रो मु बी च का औसत %		
	छ)	औसत अबद्ध अंडे की पुन: प्राप्ति / कि ग्रा बीज कोसे		
	ज)	पेब्राइन आपतन, यदि कोई हो, तो ढेर वार व स्रोत वार ब्योरा एवं आपतन के चरण का ब्योरा दें		

	झ)	सन्नियमों से कम के युग्म का % ढेर वार व स्रोतवार ब्योरा ।	

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं सूचना के अनुसार सत्य और सही है ।

रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप : **2**

(विनिमय 16 का खण्ड (vii) देखें)

रजिस्ट्रीकृत चॉकी रेशमकीट पालक द्वारा दिया जाने वाला विवरण

1	**चॉकी रेशमकीट पालक का नाम**		
2	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
3	समाप्त तिमाही की प्रगति		वर्ष : ..... (जून / सितंबर /दिसंबर / मार्च)
4	चॉकी कीटपालन का ब्योरा (ढेरवार व उपजातिवार प्रस्तुत करें)		
	क)	क्रय किए गए बीज का स्रोत एवं मात्रा (संख्या में उपजातिवार)	
	ख)	बीज चॉकी पालित की मात्रा उपजातिवार (संख्या में)	
	ग)	विक्रय चॉकी रेशमकीट की मात्रा उपजातिवार	
	घ)	चॉकी अवस्था में रोगों का प्रभाव, यदि कोई हो (बैचवार व स्रोतवार ब्योरा)	

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं सूचना के अनुसार सत्य और सही है ।

रजिस्ट्रीकृत चॉकी रेशम कीटपालक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप : **3**

(विनिमय 18 का खण्ड (vii) देखें)

रेशमकीट बीज कोसों और चॉकी रेशमकीट के रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा दिया जाने वाला विवरण

1	व्यौहारी का नाम		
2	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
3	समाप्त तिमाही की प्रगति		वर्ष : ..... (जून / सितंबर /दिसंबर / मार्च)
4	चॉकी कीटपाल का ब्योरा (ढेरवार व उपजाति-वार)		
	क)	क्रय किए गए बीज की संख्या (उपजाति-वार संख्या में)	
	ख)	कीटपालित बीज चॉकी की मात्रा उपजाति-वार (संख्या में)	
	ग	विक्रय किए गए चॉकी रेशमकीट की मात्रा उपजातिवार	
	घ	चॉकी अवस्था में रोग आपतन, यदि कोई हो, तो (बैच वार व स्रोत वार ब्योरा)	
5	बीज का ब्योरा (बैच-वार)		
	क)	क्रय बीज की मात्रा उपजातिवार (संख्या में)	
	ख	विक्रय बीज की मात्रा उपजातिवार (संख्या में)	

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं सूचना के अनुसार सत्य और सही है ।

रजिस्ट्रीकृत बीज व्यौहारी के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :